

**कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर पश्चिम एवं उत्तरी जिला
जिला न्यायालय रोहिणी, दिल्ली**

नीलामी सूचना

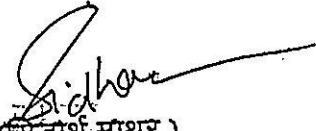
जिला न्यायालय रोहिणी के सामान्य भूगृह (जनरल बेसमेंट पार्किंग) में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी 19.08.2025 को दोपहर 03:00 बजे जनरल बेसमेंट पार्किंग में "जैसा है जहां है के आधार पर" की जाएगी। नीलाम की जाने वाली वस्तुएं एवं उनका आरक्षित मूल्य इस प्रकार है:-

क्रम संख्या	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	आरक्षित मूल्य नीलामी (प्रति पीस)	कुल राशि
1	लोहे की बेंच (तीन सीटों वाले)	34	350/-	11,900/-
2	लोहे की आगंतुक कुर्सियां	476	100/-	47,600/-
3	लोहे की मेज	15	350/-	5,250/-
4	तीन सीटों वाले सोफे	10	450/-	4,500/-
5	व्हील चेयर्स	05	185/-	925/-
6	लकड़ी की आगंतुक कुर्सियां	27	50/-	1,350/-
7	लोहे के रैक्स	12	400/-	4,800/-
8	लकड़ी की मेजें	50	150/-	7,500/-
9	हॉट केस	20	50/-	1,000
10	आलमारी	14	925/-	12,950/-
				97,775/-

उपर्युक्त वस्तुओं के अतिरिक्त, लोहे /प्लास्टिक /लकड़ी /स्टील एवं पीतल से बनी कुछ स्क्रेप वस्तुओं की भी उनके वजन (नीलामी की तिथि पर ही तौल की जाएगी) के आधार पर तथा वर्तमान बाजार दरों के अनुसार नीलामी की जानी है, जो इस प्रकार हैं:-

लोहे का स्क्रेप:- लोहे का बक्सा-02, लोहे की जाली-04, लोहे की चौखट-04, ट्रॉली-01, कैश चेस्ट-34.	37/- रुपये प्रति किलोग्राम।
प्लास्टिक स्क्रेप:- इस्टबिन-22, इस्टबिन कवर-20, पानी की टंकी-01, दीवार घड़ी-50, टेबल टॉप-17, प्लेटें-52, सैनिटाइज़र मशीन-42.	20/- रुपये प्रति किलोग्राम।
लकड़ी का स्क्रेप:- लकड़ी का रैक-15.	5/- रुपये प्रति किलोग्राम।
पीतल का स्क्रेप:- ताले-19	450/- रुपये प्रति किलोग्राम।
स्टील स्क्रेप:- एसएस प्लेटें-95, ताले-33, इस्टबिन-08, इस्टबिन के दक्कन-10.	50/- रुपये प्रति किलोग्राम।

वर्तमान लागू कर (applicable tax) उपरोक्त आरक्षित मूल्य के अतिरिक्त होंगे। निवेदक को रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) (लौटाए जाने योग्य) के साथ फोटो परिचय पत्र की एक प्रतिलिपि नीलामी वाले दिन, दिनांक 19.08.2025 (दोपहर एक बजे से पहले) अनुभाग प्रभारी, देख रेख शाखा, प्रोर्टा केबिन संख्या "5D" पंचम तल, जिला न्यायालय रोहिणी में जमा कराने होंगे। नीलामी कार्य संपन्न होने के प्रश्चात कुल नीलामी मूल्य की 25% नकद राशि सफल प्रतिभागी से ले ली जाएगी तथा सभी नीलामी वाली निष्प्रयोज्य वस्तुएं नियम एवं शर्तों के अनुसार न्यायालय परिसर से हटा ली जानी चाहिए। इच्छुक निवेदक / बोलीदाता निष्प्रयोज्य वस्तुओं का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस को सांय 02.00 से 04.00 बजे के दौरान कर सकता है। अन्य जानकारी देखरेख अनुभाग से प्राप्त की जा सकती हैं। प्रतिभागी अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी www.delhidistrictcourts.nic.in पर भी जा सकते हैं। नीलामी नीचे वर्णित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी और इसकी घोषणा मौके पर ही की जाएगी।


(सिद्धार्थ माथुर)

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी),
जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

नियम और शर्तें

1. जिला न्यायालय रोहिणी के सामान्य भूगृह (जनरल वेसमेंट पार्किंग) में बेकार पड़ी वस्तुओं की नीलामी 19.08.2025 को दोपहर 03:00 बजे जनरल वेसमेंट पार्किंग में "जैसा है जहां है के आधार पर" की जाएगी।
2. निष्प्रयोज्य वस्तुओं (विभिन्न प्रकार की स्कैप वस्तुओं को छोड़कर जिनके वजन और मार्किट रेट के आधार पर नीलामी होनी है) का आरक्षित मूल्य 97,775/- रुपये (सत्तानव हजार सात सौ पचहत्तर रुपये मात्र) जमा लागू कर निर्धारित किया गया है।
3. बोली लगाने वाले को बोली के दिन यानी 19.08.2025 दोपहर 01:00 बजे से पहले शाखा प्रभारी, देखरेख शाखा, पोर्टा केविन संख्या 5D, पंचम तल, जिला न्यायालय रोहिणी के पास फोटो पहचान पत्र की एक प्रति के साथ 10,000/- रुपये (केवल दस हजार रुपये) (वापसी योग्य) नकद जमा करना होगा।
4. सफल बोलीदाता को जीएफआर-2017 के नियम 220(iv) के अनुसार बोली स्वीकार करने पर बोली मूल्य का 25% नकद में जमा करना होगा।
5. कुल नीलामी मूल्य योग्य बोलीदाता द्वारा तीन कार्य दिवसों (दैनिक अवकाश को छोड़कर) के भीतर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम), रोहिणी कोर्ट, दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाएगा। असफल होने पर 25% जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
6. सफल आवेदक द्वारा भुगतान जमा होने के तीन दिन के भीतर अदालत परिसर से नीलाम हुई वस्तुएं हटानी पड़ेंगी।
7. सफल बोलीदाता रोहिणी कोर्ट परिसर से नीलाम हो चुकी वस्तुओं को हटाने के लिए अपने स्वयं के श्रम और परिवहन की व्यवस्था करेगा और परिवहन का खर्च उसके द्वारा वहन किया जाएगा।
8. परिषद् का निर्णय बोली लगाने वाले के लिए बाध्यकारी होगा तथा बिना कोई कारण बताए नीलामी रद्द भी की जा सकती है।
9. नीलामी परिषद् की कार्यवाही के समय किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यह सभी बोलीदाताओं/प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होगा।

(सिद्धार्थ माथुर)

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी),

जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली

दिनांक

31/7/25

संख्या 25741-25771 रोहिणी न्यायालय/देख रेख विभाग/2025

जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. निजी सचिव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी), जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली।
2. दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सभी जिला न्यायालय परिसरों की कंप्यूटर शाखा के प्रभारियों को इस अनुरोध के साथ कि नीलामी सूचना एवं नियमों और शर्तें अपनी संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. सभी शाखा प्रभारी, देख रेख शाखा, जिला केंद्रीय, पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पूर्व, नई दिल्ली, शाहदरा, उत्तर-पूर्व, पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, आरएसीसी, दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि संबंधित सम्बंधित सूचना-पट्ट पर नीलामी सम्बन्धी सूचना चिपकाएं।
4. प्रभारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय रोहिणी को अनुरोध के साथ कि मायापुरी स्कैप मार्केट के क्षेत्र में प्रमुख स्थानों पर नीलामी नोटिस की प्रतियां चिपकाने के लिए संबंधित प्रोसेस सर्वर को निर्देशित करें।
5. प्रभारी, देखरेख शाखा, रोहिणी न्यायालय, नीलामी प्रक्रिया के लिए आवश्यक व्यवस्था हेतु।

अध्यक्ष, निष्प्रयोज्य वस्तु नीलामी परिषद्
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (उत्तर-पश्चिम एवं उत्तरी),
जिला न्यायालय, रोहिणी, दिल्ली